




(17-00)

332/RA
19-1-19

नवल आदेश दिनांक ५-८-१८
 वादसं २०१८०५६०५०६६८३ बाय
 ए० ए० सु० २००६ ग्राम कल्याण
 पुराणा महोना लक्ष्मी वी.के.के.
 लखनऊ लान चन्द्र चैरिहेवाल ए०
 ए० प्रवेशानल इस्ट नकाग अस्पार
 डाय भारत या यालय र्यापनला
 धिपारि अदि के० ए० लखनऊ



पोलिमो निरस्त विभागमा
 नवल आदेश दिनांक ५-८-१८
 वा पुत्राणित द्वायापुत संलग्न
 है।



पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं सहस्रीलदार, वरखी का तालम की आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि भूमि खाला सं० 645 की गाटा सं० 1741 रकबा 0.051है०, 2071 रकबा 0.600है०, खाला सं० 1252 गाटा सं० 2084 रकबा 0.262है०, खाला सं० 1251 गाटा सं० 2070 रकबा 0.668है०, खाला सं० 1037 गाटा सं० 2085 रकबा 0.270है०, खाला सं० 669 गाटा सं० 2083 रकबा 0.205है०, खाला सं० 2054 रकबा 0.008है० का 2/3 रकबा 0.00533है० कुल रकबा 2.06133है० स्थिरा ग्राम कठवार परगना महोना तहसील पी०के०डी० जिला लखनऊ में जगन्नाथ चैरिटेबिल एवं एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 11/191 विद्यमान है। लखनऊ द्वारा सहायक राधेन्द्र प्रताप धानुंठु पुत्र कर्म प्रकाश धानुंठु के नाम संकल्पनाय भूमिधार करने है। सक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। खाला सं० निर्माण कार्य चल रहा है। इस सम्बन्ध में गाटी द्वारा सं० 80 के तौर पर अन्तर्गत प्रमाण की मूल प्रति सं० 1,27,803/- नौके का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। तबों अन्तर्गत 41 व 45 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार ग्रहनगत भूमि खाला सं० 645 की गाटा सं० 1741 रकबा 0.051है०, 2071 रकबा 0.600है०, खाला सं० 1252 गाटा सं० 2084 रकबा 0.262है०, खाला सं० 1251 गाटा सं० 2070 रकबा 0.668है०, खाला सं० 1037 गाटा सं० 2085 रकबा 0.270है०, खाला सं० 669 गाटा सं० 2083 रकबा 0.205है० सम्पूर्ण व गाटा सं० 2054 रकबा 0.008है० का 2/3 रकबा 0.00533है० कुल रकबा 2.06133है० गाटी के नाम संकल्पनाय भूमिधार करने है। जो खाला सं० 80 संकल्पनाय सहित 2008 के अन्तर्गत संकल्पनाय किया गया है। विधिसंगत प्रतीत होता है अन्तर्गत संकल्पनाय की विधिसंगतता के सम्बन्ध में संकल्पनाय महसूलवली-2021 को उपलब्ध प्रमाणी होने, जिल्ला सम्बन्ध लखनऊ जिल्ला प्रशासन एवं सहायी विद्यमान विनाय ले है।

आदेश

ग्राम कठवार परगना महोना तहसील वरखी का तालम जिला लखनऊ की खालानी पत्रावली सं० 1422-1427/80 भूमि खाला सं० 645 की गाटा सं० 1741 रकबा 0.051है०, 2071 रकबा 0.600है०, खाला सं० 1252 गाटा सं० 2084 रकबा 0.262है०, खाला सं० 1251 गाटा सं० 2070 रकबा 0.668है०, खाला सं० 1037 गाटा सं० 2085 रकबा 0.270है०, खाला सं० 669 गाटा सं० 2083 रकबा 0.205है० सम्पूर्ण व गाटा सं० 2054 रकबा 0.008है० का 2/3 रकबा 0.00533है० कुल रकबा 2.06133है० महसूलवली 80 के मूल कर्तव्य एवं ग्रहनगत भूमि कृषि संरक्षणालय, कृषि, उन्मूलन आगामी अर्द्ध के तौर पर संकल्पनाय किया जाने के कारण संकल्पनाय सहित-2008 की धारा-80 के अन्तर्गत इस बात के संबंध अधिष्ठात प्रावधानित की जाती है कि अधिष्ठात में यदि उक्त भूमि पर कृषि संरक्षणालय, कृषि, उन्मूलन आगामी अर्द्ध कृषि के सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाना है तो संकल्पनाय की धारा-80 के अन्तर्गत तहसीलदार वरखी आगामी प्रस्ताव करें। जोधका की एक सत्य प्रतिनिधि तहसीलदार पी०के०डी० के खालानी में सन्तुष्ट प्रविधि हेतु प्रेषित हो। तथा एक समन्वित संघ संकल्पनाय के सम्बन्ध में मूल निर्देश के साथ प्रेषित की इस विधिसंगतता के इस आशय का अनुमूलन विधिसंगतता के साथ विद्यमान का विन्तु व विधिसंगतता संकल्पनाय करने, इत्यादि कार्य प्रेषित करे। गाटा संकल्पनाय कार्यवाही पत्रावली वापिस प्रेषित है।



(सूचीकाना त्रिभाटी)

उप जिलाधिकारी / जम्मिस्ट्रेट कलेक्टर - प्रथम श्रेणी
पी०के०डी० लखनऊ

दिनांक 04.01.19
17-1-19
19-1-19
19-1-19

उप जिलाधिकारी / जम्मिस्ट्रेट कलेक्टर - प्रथम श्रेणी
पी०के०डी० लखनऊ में प्राप्त 10

17-1-19
19-1-19
19-1-19
7-00
560 (संख्या)

महानगर, लखनऊ, जनपद: लखनऊ, तहसील: बछी का तालाब

न्यायपालना उपनिर्वाहिकारी

वाट संख्या: 03743/2019

जान चन्द्र वैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट

बनाम

उपरोक्त सरकार

कंप्यूटराइज्ड वाट संख्या: 7201910460403743

अंतर्गत धारा: 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि: 11/04/2019

अंतिम आदेश

निर्णय

परन्तु वाट कार्रवाई जारी जान चन्द्र वैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 11/191 विकासनगर लखनऊ द्वारा संस्थापक राघवेंद्र प्रताप पाण्डेय पुत्र स्वः चन्द्र प्रकाश पाण्डेय के प्राथमिक पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी जिसमें कहा गया है कि प्रारम्भिक भूमि खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 स्थित राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जनपद लखनऊ का प्राथमिक संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिल व दखील है। उक्त भूमि पर कोई उर्बा से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी, कुककूट पालन, मत्स्य पालन आदि का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उक्त भूमि बंध, हिजा बंधक इत्यादि नहीं है, एवं समस्त प्रकार के शरी से बरी पाक स्थान है। उक्त भूमि पर वर्तमान समय में आवासीय प्रयोजन में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि को आवासीय घोषित करना चाहता है। अंत में उक्त खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 स्थित राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जनपद लखनऊ को गैर कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषिक घोषित करने की प्रार्थना की गई है।

संलग्न प्रार्थना पत्र की प्राविधानी के अन्तगत तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि भूमि खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 स्थित राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जनपद लखनऊ पर जान चन्द्र वैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 11/191 विकासनगर लखनऊ द्वारा संस्थापक राघवेंद्र प्रताप पाण्डेय पुत्र स्वः चन्द्र प्रकाश पाण्डेय का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर बागवानी, कुककूट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि के अलग-अलग आवासीय गतिविधियां विद्यमान हैं। उपरोक्त भूमि की पैमाइश धारा 80 के नियम 85 के अन्तर्गत मू० 23,420/- (तेइस हजार चार सौ बीस मात्र) व स्टैम्प शुल्क मू० 23420/- (तेइस हजार चार सौ बीस मात्र) राजकीय कोष में जमा कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः उक्त भूमि को धारा 80, 3090 राजस्व संहिता- 2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या घोषित की है।

निर्णयानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ/सरकार को नोटिश जारी की गयी जो वाट तहसील संलग्न पत्रावली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है और न ही उनके द्वारा कोई आपत्ति दायित्व की गयी है।

पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार, बछी का तालाब की आख्या का अवलोकन किया गया। खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 स्थित राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जनपद लखनऊ पर जान चन्द्र वैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 11/191 विकासनगर लखनऊ द्वारा संस्थापक राघवेंद्र प्रताप पाण्डेय पुत्र स्वः चन्द्र प्रकाश पाण्डेय का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रारम्भिक भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्राथमिक द्वारा साक्ष्य के तौर पर चालान धार्म की मूल प्रति रु० 23,420/- व मू० 23,420/- स्टैम्प शुल्क, फोटोसाफ, नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। तथा आकार पत्र 41 व 45 प्रस्तुत किये हैं।

अतः भूमि खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 स्थित राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जनपद लखनऊ पर जान चन्द्र वैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 11/191 विकासनगर लखनऊ द्वारा संस्थापक राघवेंद्र प्रताप पाण्डेय पुत्र स्वः चन्द्र प्रकाश पाण्डेय का नाम संक्रमणीय के रूप में दर्ज है, जो राजस्व संहिता की धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाता उचित एवं विधिसंगत प्रतीत होता है। परन्तु भू-उपयोगिता की विधिमाम्यता के सम्बन्ध में लखनऊ न्यायपालना 2021 के उपबन्ध प्रभावी होने, जिसका सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं शहरी नियोजन विभाग से है।

आदेश

अतः राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जिला लखनऊ की खर्तनी फसली 1422-1427फ० भूमि खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 मातृगुजारी 60ख से मुक्त करते हुये प्रारम्भिक भूमि कृषि मत्स्यपालन, कुककूटपालन, बागवानी आदि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किये जाने के कारण राजस्व संहिता की धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्यपालन,

५

बुनसुटपासन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो राजस्व संहिता की धारा 82 राजस्व संहिता के अन्तर्गत लक्ष्मण लहरीबदार अपनी आशुता प्रस्तुत करेंगे। आदेश की एक सत्य प्रतिनिधि लहरीबदार बीएफटीओ के कार्यालय में तदनुसार प्रेषित हेतु प्रेषित हो तथा एक सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित की इसे निबन्धित कर इस आशुता का अनुलेख निषिद्ध करने के बाद निबन्धन का दिनांक व प्रिंसिपलबन्ध रजिस्ट्रार संख्या अपने हस्तक्षेप सहित प्रेषित करें। यदि आवश्यक कार्यवाही पचावली दक्षिण दफ्तर हो।

(प्रफुल्ल कुमार विपाठी)
उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर-प्रथम श्रेणी
बीएफटीओ लखनऊ